(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) मुकाम ....बेगूँ.......

नारायण पिता लालू जी गुर्जर नि.झाडोल बनाम मांगीलाल पुत्र लालू गुर्जर नि.झाडोल करम मुकदमा ....दावा में दावा अ.धा. 88–53–188 रा0काश्त0अधि0 नं0 ....77/2014......... सन् ... .

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
16.12.2020	पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता वादी उपस्थित। यह पत्रावली दिनांक 05.014.2021 को तारीख पेशी पर फर्द बंटवारा रिपोर्ट की पालना में विचाराधीन थी इस पत्रावली में तहसीलदार बेगूँ द्वारा उनके पत्र कमांक 787 दिनांक 03.12.2020 के साथ रिपोर्ट भू0अ0नि0 वृत काटून्दार व नकल जमाबंदी मौजा झाडोल प0ह0 काटून्दा की संलग्न कर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है कि विचाराधीन प्रकरण में मौजा झाडोल की आराजी खसरा संख्या 157 कुल रकबा 2.31 हैक्टर भूमि में वादी संख्या 2 छगनलाल पिता लादू गंवार द्वारा अपना निहित हक हिस्सा 1/6 का विकय कैलाशीबाई पत्नी शंकरलाल गंवार सा. मेघनिवास को कर दिया गया है । उक्त रजिस्टर्ड विकय पत्र से केता कैलाशीबाई पत्नी शंकरलाल गंवार सा. मेघनिवास के पक्ष में नामान्तरण संख्या 165 दर्ज होकर दिनांक 21.07.2020 को स्वीकृत हो चुका है। संलग्न नकल जमाबंदी के अवलोकन से पाया गया कि नामा0सं0 165 दिनांक 21.07.2020 रजि. विकय से खाते में छगनलाल पिता लादूलाल 1/6 के बजाय कैलाशीबाई पत्नी शंकरलाल गंवार सा. मेघनिवास 126 दर्ज करने की स्वीकृति का नोट अंकित है। वाद पत्र में वादी सं0 2 द्वारा प्रस्तूत वाद वत्र अ0धा0 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस न्यायालय में प्रस्तुत करते हुए उपरोक्त वर्णित आराजी में अपना हिस्सा पृथक करा विभाजन कराने का वाद प्रस्तुत किया था जो कि न्यायालय द्वारा दिनांक 17.05.2018 को प्राथमिक डिकी किया गया था, चूँकि वादी द्वारा दौराने वाद अपनी हिस्से का सम्पूर्ण बेचान करने से वादी का हिस्सा अब उक्त आराजी में नहीं रह जाता है ,ऐसी स्थिति में वादी को [illegible] प्रकार का अनुतोष प्राथमिक डिकी अनुसार नहीं दिया [illegible] है। वादी संख्या 2 द्वारा दौराने वाद [illegible] विकय [illegible] जाने की जानकारी अधिवक्ता वादी [illegible] विकय जानकारी उन्हें नहीं [illegible] उनके सम्पर्क में होना जाहिर किया है। अतः वाद वादी का अ0धा0 53 राज0 काश्त0अधि0 का दौराने वाद भूमि विकय किये जाने से दावा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें। सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ [illegible]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.08.24 10:45:08 IST
Reason: SelfAttested